उत्तर प्रदेश होमियोपैथिक मेडिसिन बोर्ड

होमियोपैथी भवन

मो0नं0 : 7607355882

2, नबीउल्लाह मार्ग, लखनऊ–226018

पत्रांक 3063 /एच0एम0बी0/684/2021 दिनांक 03-03-2023

सेवा में,

प्रबंधक, यू0पी0डेस्को,

लखनऊ (ओमनीनेट, लखनऊ)

विषय– उ0प्र0 होमियोपैथिक मेडिसिन बोर्ड, लखनऊ द्वारा संचालित डिप्लोमा इन होम्योपैथिक फार्मासिस्ट पाठ्यक्रम के शैक्षणिक सत्र 2019-21 के प्रथम वर्ष (जिन छात्रों का सत्र 2019-21 में नामाकंन पूर्व में जारी हो चुका है) का परीक्षा फार्म पोर्टल खोले जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, अवगत कराना है कि संलग्न सूची में उल्लिखित डी0एच0पी0 संस्थाओं के प्राचार्य/प्रबंधकों द्वारा अनुरोध के साथ अवगत कराया गया है कि उनकी संस्था में सत्र 2019-21 में पंजीकृत/अध्ययनरत् छात्रों का कोरोना महामारी के विकराल रूप के कारण नामाकंन जारी हो चुका है परन्तु परीक्षा फार्म नहीं भरा जा सका था।

2- उक्त के क्रम में डी0एच0पी0 संस्थाओं द्वारा किये गये अनुरोध एवं छात्र हित के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त नियंत्रक महोदय द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में सम्बन्धित संस्था के सत्र 2019-21 में अध्ययनरत् छात्रा-छात्राओं **(जिन छात्रों का सत्र 2019-21 में नामाकंन पूर्व में जारी हो चुका है)** के प्रथम वर्ष के परीक्षा फार्म पोर्टल **दिनांक 03.03.2023 से 05.03.2023 तक** खोले जाने का निर्णय लिया गया है।

अतः बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में प्रतिलिपि में उल्लिखित कालेजों का दिनांक 03.03.2023 से 05.03.2023 तक सत्र 2019-21 के प्रथम वर्ष का परीक्षा फार्म पोर्टल खोलने का कष्ट करें।

03/03/2023
(विनय कुमार त्रिपाठी)
रजिस्ट्रार।

<u>संख्या एवं दिनांक तद्दिनांक-</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. नियंत्रक, उ0प्र0 होमियोपैथिक मेडिसिन बोर्ड, लखनऊ।
2. निम्नलिखित कालेजों (कालेज कोड-**CL1014, CL1071, CL1055, CL1125, CL1174, CL1118, CL1165, CL1199, CL1040, CL1139**) के प्राचार्य/प्रबंधक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया सत्र 2019-21 के प्रथम वर्ष में पंजीकृत छात्रों **(जिन छात्रों का सत्र 2019-21 में नामाकंन पूर्व में जारी हो चुका है)** का परीक्षा फार्म निर्धारित अवधि में भराते हुए अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु चाही गयी वांछित सूचना शपथ-पत्र के माध्यम से बोर्ड कार्यालय को तत्काल हार्ड एवं साफ्ट कॉपी में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। प्रकरण अत्यन्त महत्वपूर्ण व समयबद्ध है। इस सम्बन्ध में यदि किसी भी स्तर पर लापरवाही की जाती है तो उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित संस्था के प्राचार्य/प्रबंधक का होगा।

(विनय कुमार त्रिपाठी)
रजिस्ट्रार।